:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,गुना (म0प्र0) ::

पृष्ठांकन क्रमांक 554 / सां0 / 2026 गुना, दिनांक—19.06.2026

यथाआदेशानुसार

माह जुलाई एवं अगस्त 2026 हेतु समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सार्वजनिक अवकाशों में रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेश क्रमांक 868 / 2026 दिनांक 18.06.2026 की अनुमोदन उपरांत मूल प्रति :—

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गुना (म0प्र0)

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

प्रशासनिक अधिकारी
कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गुना (म0प्र0)

न्यायालय : सुश्री मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक / 868 / 2026 जिला गुना, दिनांक 18.06.2026

— :: रिमाण्ड डयूटी आदेश माह जुलाई+अगस्त 2026 ::—

माह जुलाई+अगस्त 2026 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड डयूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमांड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

— ::जिला न्यायिक स्थापना—गुना ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जुलाई 2026	माह अगस्त 2026
1	श्री डालचंद		01-08-2026 02-08-2026
2	श्री सुरेश बारगीया	24-08-2026	09-08-2026
3	श्री चेतन बजाड़	26-07-2026	28-08-2026
4	श्री राजकुमार तोरनिया		15-08-2026 16-08-2026
5	श्रीमती श्रुति चौहान		23-08-2026 30-08-2026
6	श्री यश दुबे	18-07-2026 19-07-2026	
7	सुश्री आयुषी मित्तल	04-07-2026 05-07-2026 12-07-2026	

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—आरोन ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जुलाई 2026	माह अगस्त 2026
1	श्री बुदे सिंह सोलंकी	18-07-2026 19-07-2026 26-07-2026	01-08-2026 02-08-2026 28-08-2026 30-08-2026
2	श्री भरत परमार	04-07-2026 05-07-2026 12-07-2026	09-08-2026 15-08-2026 16-08-2026 23-08-2026 24-08-2026

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—राघौगढ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जुलाई 2026	माह अगस्त 2026
1	श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव	04-07-2026 05-07-2026 12-07-2026 26-07-2026	24-08-2026
2	श्री संजीव पिपलादिया	18-07-2026 19-07-2026	01-08-2026 02-08-2026 23-08-2026
3	सुश्री ज्योत्सना गेब्रियल		09-08-2026 15-08-2026 16-08-2026 28-08-2026 30-08-2026

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—चांचौड़ा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जुलाई 2026	माह अगस्त 2026
1	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी	04-07-2026	28-08-2026

		05-07-2026 **26-07-2026**	**30-08-2026**
2	सुश्री प्रियम सेन	**18-07-2026** **19-07-2026**	**01-08-2026** **02-08-2026** **09-08-2026**
3	श्री अंकित जैन	**12-07-2026**	**15-08-2026** **16-08-2026** **23-08-2026** **24-08-2026**

सामान्य नोट–

1– माह **जुलाई+अगस्त2026** के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड डयूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, राघौगढ, आरोन एवं चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्युटी का निष्पादन **माह जुलाई एवं अगस्त 2026** क्रमशः **श्री चेतन बजाड़ श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव/श्री बी.एस. परमार/श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी** द्वारा किया जावेगा।

2– उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

3– सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड डयूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4– सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड डयूटी के दौरान न्यायिक मजिस्टे्ट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्टे्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

5– समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफतारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड डयूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड डयूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

विशेष :— **यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।**

(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक 2026

पृ.क्र.:— /2026

प्रतिलिपि :— (ईमेल—मेसेज द्वारा)

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।

5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।

6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।

7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई—मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)